न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 01/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00004

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार, रानी जिला पाली		1. श्रीमती ओटी पत्नी वाला 2. शेषाराम पुत्र वाला 3. भंवरलाल पुत्र वाला जातिगण मेघवाल निवासीगण माण्डल तहसील रानी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20.5.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी रानी एवं आवंटन सलाहाकार समिति के आदेश क्रमांक 1920 दिनांक 06.08.1980 के द्वारा ग्राम माण्डल के खसरा नम्बर 278 रकबा 1.15 बीघा किस्म बा.अ. भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में कए गए भू–आवंटन आदेश के विरूद्ध पेश किया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम माण्डल के खसरा नम्बर 278 रकबा 1.15 बीघा किस्म बा.अ. भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 06.08.1980 को अप्रार्थीगण के पिता/पति वाला को आवंटित की गयी थी तथा आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 588 दिनांक 02.12.1980 भरा गया। जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 अनुसार आवंटी वर्तमान में राजस्व रेकर्ड अनुसार गैर खातेदार दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन से आंदिनाक तक आवंटित भूमि पर काश्त नहीं किया गया। आवंटी का व्यवसाय कृषि या सह कृषि कार्य नहीं है। वक्त आवंटन आवंटी द्वारा गलत तथ्य प्रकट कर आंवटन करवाया गया जो काबिले निरस्त है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता/पती वाला पुत्र मोती को जैर आवंटन करीब 40 वर्ष पूर्व हुआ था तथा इतने लम्बे अन्तराल के बाद जैर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका कोई युक्तियुक्त कारण पेश नहीं किया। आवंटन आदेश दिनांक 06.08.1980 की पालना में नामन्तरकरण संख्या 588 दिनांक 02.12.1980 के द्वारा आवंटी को राजस्व रेकर्ड में गैर–खातेदार दर्ज किया गया परन्तु राजस्व अधिकारियों ने नियम 18 के प्रावधानों की पालना नहीं करते हुये आवंटी तथा बाद स्वीकृत विरासत

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तकरण संख्या 1442 दिनांक 06.01.2007 में अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये, जो नियम विरूद्ध है। आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 588 को चुनौती देने से प्रार्थी विधिक रूप से एस्टापल के सिद्धान्त से एस्टाप है। सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन से आदिनांक तक आवंटित भूमि पर काश्त नहीं किया गया जबकि आवंटन के पश्चात सम्वत् 2041, 2042, 2043 में आवंटित सम्पूर्ण भूमि 1.15 बीघा में ज्वार की फसल बोई, काटी व अवेरी गयी। वर्तमान में मौके पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 2008 (1) RRT 610 (Raj HC), 1995 DNJ (Raj) 592, 2001(8) RBJ 125, 1996(3) RBJ 287, 2008(15) RBJ 435, 2011 (18) RBJ 418, Rule 30 Raj. Rev. Court Manual Part 3, 1993 RRD 814, 1997 RRD 538, SEC. 115 EVI. ACT ESTOPPEL AIR 1992 CALCUTTA 86, RULE 15(a) to (c) Rule's 1970 2001(4) WLC (Raj) 431 पेश किये। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने तथा म्याद बाहर होने से खारिज फरमावे।

हमने सरकारी पैरोकार तथा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी रानी एवं आवंटन सलाहाकार समिति के आदेश क्रमांक 1920 दिनांक 06.08.1980 के द्वारा ग्राम माण्डल के खसरा नम्बर 278 रकबा 1.15 बीघा किस्म बा.अ. भूमि का वाला पुत्र मोती के पक्ष में किये गए भू–आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत पेश किया है। जैर आवंटन आदेश की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 588 दिनांक 02.12.1980 के द्वारा आवंटी वाला पुत्र मोती मेघवाल सा.देह एलोटी सम्वत् 2037 से 2046 गैर खातेदार दर्ज किया गया। वाला को आवंटित आराजी की किस्म बारानी अव्वल है जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे नहीं आने से आवंटन की जा सकती है।

राज. भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 12 अनुसार "उपबन्धित के सिवाय, आवंटित की जाने वाली भूमि की सीमा 4 हैक्टर से अधिक नहीं होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी दशा में इन नियमों के अधीन आवंटित किये जाने वाले कुल क्षेत्र, आवंटी द्वारा पहले से ही धारित क्षेत्र या उसके काल्पनिक अंश, यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित हो, को मिला कर (4 हैक्टर) से अधिक नहीं होगा।" आवंटी को खसरा संख्या 278 रकबा 1.15 बीघा भूमि किस्म बारानी अव्वल आंवटित की है जो नियमानुसार सही होने से विधिसम्मत है।

आवंटन की शर्तो अनुसार आवंटन गैर खातेदारी हकूक के तौर पर किया जाता है जो 10 वर्ष की समाप्ति के बाद खातेदारी का हक प्राप्त करेगा। आवंटन कमेटी द्वारा वाला के पक्ष में जैर प्रार्थना पत्र आराजी खसरा संख्या 278 रकबा 1.15 बीघा भूमि के आंवटन आदेश दिनांक 06.08.1980 को पारित किया। जैर आवंटन आदेश की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 588 दिनांक 02.12.1980 के द्वारा आवंटी वाला पुत्र मोती मेघवाल सा.देह एलोटी सम्वत् 2037 से 2046 गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा वर्तमान में जैर आराजी राजस्व रेकर्ड में आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जो जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के अवलोकन से स्पष्ट है।

जैर आराजी से संबधित खसरा गिरदावरी सम्वत् 2038–41, सम्वत् 2042–43, सम्वत् 2043–2045, सम्वत् 2059, सम्वत् 2060–2062 का अवलोकन पर पाया गया कि आवंटी उक्त आराजी पर ज्वार, बाजरी, ग्वार, मुंग इत्यादि फसलों की समय–समय पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

खेती करता आ रहा है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि जैर आवंटन आराजी पर आवंटी एवं उसके वारिसानो का कब्जा काश्त है एंव उक्त आराजी का उपयोग केवल कृषि के लिए किया जा रहा है। जैर प्रार्थना पत्र आराजी का आवंटन वर्ष 1980 में करने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र करीब 39 वर्ष बाद प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे इतने समय बाद आवंटन आदेश निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1996(3) RBJ 287 RAJASTHAN LAND REVENUE (ALLOTMENT OF LAND FOR AGRICULTURAL PURPOSE) RULES 1970,- RULE 14(3) AND RULE 18 SECTION 9 OF THE RAJASTHAN LAND REVENUE ACT. 1956- ALLOTMENT OF LAND CANNOT BE CANCELLED AFTER LAPSE OF 23 YEARS. AND भी इसका समर्थन करता है।

साथ ही अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2011 (18) RBJ 418 - RAJSTHAN LAND REVENUE (ALLOTMENT OF LAND FOR AGRICULTURAL PURPOSE) RULES 1970- RULE 14(4)- ALLOTMENT OF LAND CANNOT BE CANCELLED ON THE BASIS OF PRESUMPTIONS AND TECHNICAL GROUNDS. के अनुसार भी जैर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी रानी एवं आवंटन सलाहाकार समिति के आदेश क्रमांक 1920 दिनांक 06.08.1980 के द्वारा ग्राम माण्डल के खसरा नम्बर 278 रकबा 1.15 बीघा किस्म बा.अ. भूमि का आवंटन वाला पुत्र मोती को किया गया तथा नामान्तकरण संख्या 588 दिनांक 02.12.1980 के द्वारा आवंटी वाला पुत्र मोती मेघवाल सा.देह एलोटी सम्वत् 2037 से 2046 गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटन कमेटी ने नियम 12 अनुसार आवंटन की सीमा के नियमों की पालना करते हुए आवंटी को 1.15 बीघा भूमि के आवंटन आदेश जारी किये, जो उचित तथा सही है। साथ ही जैर आराजी पर आवंटी समय–समय पर खेती करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र करीब 39 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है जिसका भी कोई उचित ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 सारहीन होने से खारिज की जाती है। आवंटी वाला पुत्र मोती के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 06.08.1980 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली